



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226074
CG-DL-E-24032021-226074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943

No. 114]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/78/13-डीडी/82/13/डीसी/410/14.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. जकारिया पनमपुन्ना एलेक्जेंडर (सदस्यता संख्या 006654), मैसर्स कूरियन एंड सुशीलन, चार्टर्ड एकाउंटेंट, पी. बी. सं. 181, पुकाडियिल बिल्डिंग, शास्त्री रोड, कोट्टायम 686 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. जकारिया पनमपुन्ना एलेक्जेंडर (सदस्यता संख्या 006654) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. जकारिया पनमपुन्ना एलेक्जेंडर (सदस्यता संख्या 006654) का नाम, 24 मार्च, 2021 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./551/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/78/13-DD/82/13/DC/410/14: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Zachariah Panampunna Alexander (Membership No. 006654), M/s. Kuryan & Suseelan, Chartered Accountants, P B No. 181, Pukadiyil Buildings, Shastri Road, Kottayam 686 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) and (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Zachariah Panampunna Alexander (Membership No. 006654) from the Register of Members for a period of 02(Two) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Zachariah Panampunna Alexander (Membership No. 006654)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 24th March, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./551/2020-21]